

परियोजना का नाम:- जनपद देहरादून के विकासखण्ड रायपुर में राजीव गांधी अन्तर्राष्ट्रीय किंकेट स्टेडियम हेतु चार लेन पहुँच मार्ग के नवनिर्माण हेतु 1.92 हेठले वन भूमि लो०नि�०वि० को हस्तान्तरण।

वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन न होने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन नहीं हुआ है।



रामेश्वर
अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो०नि�०वि०,
कृष्णकेश



अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो०नि�०वि०,
कृष्णकेश